



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 19 अप्रैल, 2025

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना नरौरा

बाइक सवार शांतिर बदमाशों के साथ थाना नरौरा पुलिस टीम व स्वाट टीम देहात की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश घायलावस्था में अपने 03 अन्य साथी सहित गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, चाकू, नकदी, 13 मोबाइल फोन, 08 एटीएम कार्ड व घटना में प्रयुक्त 02 बाइक बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18/19.04.2025 की रात्रि को थाना नरौरा पुलिस व स्वाट टीम देहात रामघाट-नरौरा बॉर्डर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी तभी 02 बाइक पर सवार 04 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिनको रूकने का इशारा किया गया तो नही रुके तथा बाइक को तेजी से मोड़कर रामघाट की ओर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा कर घेराबंदी की गयी तो निवाड़ी बांगर गाँव के सामने से हजारा नहर को जाने वाले रास्ते पर अपने आपको पुलिस टीम से धिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसको अपने 03 अन्य साथी सहित गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान 1. हरेन्द्र पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नरऊ थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़(घायल) 2. योगेन्द्र पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नरऊ थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़ 3. योगेन्द्र पुत्र तिलक सिंह निवासी ग्राम नरऊ थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़ 4. कार्तिक पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम गांगरौल थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, चाकू, नकदी, 13 मोबाइल फोन, 08 एटीएम कार्ड व घटना में प्रयुक्त 02 बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शांतिर किस्म के चोर/लूटेरे अपराधी हैं जिनके द्वारा दिनांक 13.10.2024 व दिनांक 29.03.2025 को थाना नरौरा क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना व दिनांक 19.02.2025 थाना रामघाट क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नरौरा पर मुअसं 197/24 धारा 303(2) बीएनएस व मुअसं 74/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है, थाना रामघाट पर मुअसं 28/25 धारा 134 बीएनएस पंजीकृत है। तथा अभियुक्तों द्वारा गंगा किनारे स्नान करने आये श्रद्धालु का एटीएम कार्ड व मोबाइल चोरी करके उनका पिन बदलकर एटीएम मशीन से रूपये निकलने की स्वीकारोक्ति की गयी है। उपरोक्त पंजीकृत मुकदमों में बदमाशों की गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. हरेन्द्र पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नरऊ थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़(घायल)
2. योगेन्द्र पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नरऊ थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़
3. योगेन्द्र पुत्र तिलक सिंह निवासी ग्राम नरऊ थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़
4. कार्तिक पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम गांगरौल थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़

बरामदगी-

- 1- 02 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 03 खोखा कारतूस।
- 2- 02 चाकू
- 3- 32,000/- रूपये नकदी
- 4- 13 मोबाइल फोन
- 5- 02 बाइक (घटना में प्रयुक्त)
- 6- फोटो/आधारकार्ड
- 7- 01 पर्स व 01 बैग
- 8- 08 एटीएम कार्ड

गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र महिपाल का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं 84/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन जनपद अलीगढ़।
- 2- मुअसं 149/17 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन जनपद अलीगढ़।
- 3- मुअसं 185/17 धारा 392/411 भादवि थाना जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन जनपद अलीगढ़।
- 4- मुअसं 216/17 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन जनपद अलीगढ़।
- 5- मुअसं 227/17 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन जनपद अलीगढ़।
- 6- मुअसं 197/24 धारा 303 (2)/317 (2)/112 (2) बी0एन0एस0 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मुअसं 28/25 धारा 134/317 (2) बी0एन0एस0 थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मुअसं 74/25 धारा 303 (2)/317 (2)/112 (2) बी0एन0एस0 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र महिपाल का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं 961/18 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, नगर कमिश्नरेट आगरा।
- 2- मुअसं 469/18 धारा 379/411 भादवि थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस ।
- 3- मुअसं 744/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस ।
- 4- मुअसं 71/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 411/414 भादवि थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर ।

- 5- मुअसं 102/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं 197/24 धारा 303 (2)/317(2)/112(2) बी0एन0एस0 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मुअसं 28/25 धारा 134/317 (2) बी०एन०एस० थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मुअसं 74/25 धारा 303 (2)/317(2)/112 (2) बी0एन0एस0 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र तिलक सिंह का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं 98/17 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी चंदौसी जनपद मुरादाबाद।
- 2- मुअसं 308/17 धारा 102/41 द0प्र0सं0 व 414 भादवि थाना जीआरपी चंदौसी जनपद मुरादाबाद।
- 3- मुअसं 961/18 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, नगर कमिश्नरेट आगरा।
- 4- मुअसं 211/19 धारा 379/411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं 71/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 411/414 भादवि थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं 102/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मुअसं 197/24 धारा 303 (2)/317 (2)/112 (2) बी0एन0एस0 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मुअसं 28/25 धारा 134/317 (2) बी०एन०एस० थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
- 9- मुअसं 74/25 धारा 303 (2)/317 (2)/112 (2) बी0एन0एस0 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त कार्तिक पुत्र कल्याण सिंह का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं 197/24 धारा 303 (2)/317 (2)/112 (2) बी0एन0एस0 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं 28/25 धारा 134/317 (2) बी०एन०एस० थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं 74/25 धारा 303 (2)/317 (2)/112 (2) बी0एन0एस0 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना नरौरा पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री रामनारायण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नरौरा।
- 2- व0उ0नि0 विष्णु सिंह, उ0नि0 अनोखे लाल, प्रशिक्षु उ0नि0 विक्रम सिंह।
- 3- है0का0 सोनू सिंह, का0 सुरेन्द्र कुमार, का0 विपिन कुमार, का0 पवन कुमार।

स्वाट टीम देहात-

- 1- श्री पम्मी चौधरी प्रभारी स्वाट टीम देहात।
2. है0का0 नेत्रपाल, है0का0 कुलदीप सिंह, है0का0 अरुण, का0 मनीष, का0 आकाश, का0 विपिना



मीडिया सैल बुलन्दशहर